

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
वैशाली।

पटना, दिनांक-.....2016

विषय :- पातेपुर (वैशाली) थाना कांड सं-139/2012 दिनांक-29.09.2012 में नक्सली हिंसा में मारे गए मृतकों 1. स्व0-कुणाल भारती उर्फ कुणाल, पिता-स्व0 उमेश चन्द्र प्रसाद सिंह की आश्रिता पत्नी-डॉली सिंह एवं 2. स्व0-उमेश चन्द्र प्रसाद सिंह, पिता-स्व0-अमरनाथ सिंह की आश्रिता पत्नी-प्रतिमा सिंह दोनों ग्राम-हरिलोचनपुर सुक्की, थाना-पातेपुर, जिला-वैशाली को जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-872/जिला सामान्य, दिनांक-19.05.2015 के आलोक में सुरक्षा संबंधी व्यय मद से प्रति मृतक ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) की दर से कुल ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

वित्तीय वर्ष-2015-16 में जिला पदाधिकारी, वैशाली को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष-2015-16 में जिला पदाधिकारी, वैशाली को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष-2015-16 में जिला पदाधिकारी, वैशाली को कुल आवंटित राशि।
-	₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र	₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में माँग संख्या-22 बजट शीर्ष खण्ड-II-8000-आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0414-आतंकवाद, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता, विषय शीर्ष-33 02-मुआवजा (विपत्र कोड 8000-एस2235602000414) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, वैशाली कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतक के आश्रिता को समुचित पहचान कर निम्नांकित शर्तानुसार की जाए :-
 - (i) जिला पदाधिकारी, वैशाली ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र की दर से प्रति मृतक के आश्रित को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा।
 - (ii) भुगतान की गई राशि की सूचना विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।
3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, वैशाली होंगे।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, वैशाली होंगे।
4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, वैशाली से की जायगी।
5. यह आवंटनादेश भारत सरकार के पत्र संख्या-11044/11/2011-VTV, दिनांक-29.06.2012 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, वैशाली की होगी।
6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा मात्र उक्त पीडित व्यक्ति/मृतक के आश्रित को अनुग्रह-अनुदान/मुआवजा के रूप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
7. जिला पदाधिकारी, वैशाली का यह दायित्व होगा की भुगतान कि गई राशि की व्यय-विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2015-16 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि:-भुगतान एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-..... /

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-.....2016

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-..... /

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव, प्रभारी प्रशाखा 'ए', गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-.....2016

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2944 /

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-21/3/2016

Intend
21.03.16
सरकार के विशेष सचिव

Intend
21/3